राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर

क्रमांक/सामान्य/2020/ 8348 दिनांकः08.07.2020

–::आदेश::–

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ प्रतिबंधात्मक निर्देश समय–समय पर जारी किये गये हैं, ताकि लोक–व्यवस्था कायम रह सके एवं मानव जीवन सुरक्षित रहे।

मेरे ध्यान मे यह लाया गया है कि जिले में मृत्यु पर होने वाली शोक सभाओं में अत्यधिक संख्या में व्यक्तियों के एकत्रित होने से कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के फैलने की संभावना बढ गयी है।

राजस्थान मृत्यु भोज प्रतिषेध अधिनियम, 1960 की धारा 7 के तहत राजस्थान पंचायतीराज अधीनियम के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच एवं प्रत्येक पटवारी का यह दायित्व है कि मृत्यु भोज के संबंध में निकटतम मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देवें। यदि सरपंच/पंच/पटवारी मृत्यु भोज की सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट को देने में विफल रहते है तो तीन माह का कारावास या आर्थिक जुर्माना अथवा दोनो की सजा का प्रावधान है।

अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच एवं पटवारी से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने–अपने ग्राम पंचायत में यदि कोई मृत्यु भोज आयोजित किया जाता है तो उसकी सूचना से निकटतम मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रभाव से अवगत करावे। उक्त सूचना देने में विफल रहने पर संबंधित के विरूद्ध राजस्थान मृत्यु भोज प्रतिषेध अधिनियम, 1960 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा सकती हैं। साथ ही शोक सभाओं में सामाजिक दूरी से संबंधित निर्धारित मानको की पालना सुनिश्चित करावें।

(हिमांशु गुप्ता) 08/07
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जालोर

क्रमांक/सामान्य/2020/ 8349 to 8325 दिनांकः08.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक जालोर।
3. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालोर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जालोर।
5. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त।
6. तहसीलदार, समस्त।
7. विकास अधिकारी, समस्त।
8. जिला सूचना एंव जन सम्पर्क अधिकारी जालोर को व्यापाक प्रचार–प्रसार हेतु ।
9. ACP (उपनिदेशक) DOIT, जालोर को जिला वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
10. थाना अधिकारी, पुलिस थाना.........................।
11. अतिरिक्त निजी सचिव जिला कलक्टर, जालोर।
12. सरपंच/पंच ग्राम पंचायत ....।
13. आदेश पत्रावली

8/7
अति. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर

::कोरोना संक्रमण की रोकथाम ही इस बिमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है::